न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :— 174/2020 निर्णय दिनांक :— 26-10-20

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू जाति मीना निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

दावा दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी को वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी भूमि खाता नम्बर 39 के खसरा नंबर 526, 623, 626/785, 628, कुल किता 4 रकबा 0.30 है0 तथा खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 247, 248, 249, 250, 252, 253, कुल किता 6 कुल रकबा 0.68 है0, तथा खाता संख्या 36 के खसरा नंबर 114, 115, 116, 117, 527, 528, 528/789, 565, कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 तथा खाता संख्या 47 के खसरा नंबर 244, 245, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 308, 309, 310, 311, 312, कुल किता 13 कुल रकबा 4.75 है0, तथा खाता संख्या 42 के

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

खसरा नंबर 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, तथा खाता संख्या 40 के खसरा नंबर 154, 155, 158, 159, 160, 161, 246, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 362, 363, 364, 365, 366, 521, 522, 523, 524, 525, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 608, 609, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 630, 631, 632, 633, 636/786, 644, 645, कुल किता 77 कुल रकबा 17.40 है0 वाके ग्राम रायपुरियाखुर्द पटवार हल्का बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का नाम लच्छू पुत्र पांच्या गलत दर्ज कर रखा है। वादी का वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी का विवादित आराजी में स्वयं का नाम लच्छू पुत्र पांच्या राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू राजस्व रिकार्ड में अंकित होना चाहिये था जबकि वादी का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रो में लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में लक्ष्छू पुत्र पांच्या के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम लक्ष्छू पुत्र पांच्या राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू अंकित होना चाहिये थां जिससे वादी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त आराजी में स्वंय का नाम लच्छू पुत्र पांच्या की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 03.07.2020 को निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकार्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपना नाम लक्ष्छू पुत्र पांच्या की जगह लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वादकारण दिनांक 03.07.2020 को बैंक वालो ने कहा कि आपका नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है। वादी का वाद अन्दर मियाद एवं निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खाता नंबर 39 के खसरा नंबर 526, 623, 626/785, 628, कुल किता 4 रकबा 0.30 है0 तथा खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 247, 248, 249, 250, 252, 253, कुल किता 6 कुल रकबा 0. 68 है0, तथा खाता संख्या 36 के खसरा नंबर 114, 115, 116, 117, 527, 528, 528/789, 565, कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 तथा खाता संख्या 47 के खसरा नंबर 244, 245, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 308, 309, 310, 311, 312, कुल किता 13 कुल रकबा 4. 75 है0, तथा खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 418, 419, 420, 421,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, ...

422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, तथा खाता संख्या 40 के खसरा नंबर 154, 155, 158, 159, 160, 161, 246, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 362, 363, 364, 365, 366, 521, 522, 523, 524, 525, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 608, 609, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 630, 631, 632, 633, 636/786, 644, 645, कुल किता 77 कुल रकबा 17.40 है0 वाके ग्राम रायपुरियाखुर्द पटवार हल्का बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्वयं वादी का नाम लक्ष्छू पुत्र पांच्या के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करें। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर वादी दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो प्रतिवादी द्वारा जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 के कम में मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम रामपुरिया के सम्वत 2076–79 के खाता संख्या नया 47 कुल किता 13 कुल रकबा 4.75 है0 खाता संख्या नया 40 कुल किता 77 कुल रकबा 17.40 है, खाता संख्या नया 33 कुल किता 06 कुल रकबा 0.68 है0, खाता संख्या नया 36 कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0, खाता संख्या नया 39 कुल किता 4 कुल रकबा 0.30 है0, खाता संख्या नया 42 कुल किता 12 कुल रकबा 4.14 है0 में दर्ज अंकन की हद

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

तक स्वीकार है। उक्त खाता संख्या नया 47 कुल किता 13 कुल रकबा 4.75 है0, में श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश जयपुर कम 19 जयपुर महानगर जयपुर सांगानेर के प्रार्थना पत्र संख्या 239/14 निर्णय दिनांक 11.12.2014 व तहसीलदार महोदय चाकसू के आदेश कमांक/भू0अ/2015/5664 दिनांक 23.06.2015 की पालना में खाते की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् स्थगन का नोट लगा हुआ है। मद संख्या 2 से 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। मद संख्या 10 (क) से 10 (ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावा वादी डिकि कर दिया जावें। वादी ने दावे के समर्थन में बैक पास बुक जन आधार कार्ड, लक्ष्छुराम,गिर्राज का चुनाव पहिचान पत्र, आधार कार्ड, जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण, गिर्राज पुत्र लक्ष्मीनारायण कृष्ण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण के दस्तावेज बतौर सबुत पेश किये गयें। वकील वादी की बहस पर गौर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लच्छु पुत्र पांचू अंकित है जबकि वादी के समस्त वारिसान के आधार कार्ड में पिता का नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है। केवल राजस्व रिकार्ड में लच्छु अंकित है जिसे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकि किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 526, 623, 626/785, 628, कुल किता 4 रकबा 0.30 है0 तथा खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 247, 248, 249, 250, 252, 253, कुल किता 6 कुल रकबा 0.68 है0, तथा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

खाता संख्या 36 के खसरा नंबर 114, 115, 116, 117, 527, 528, 528/789, 565, कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 तथा खाता संख्या 47 के खसरा नंबर 244, 245, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 308, 309, 310, 311, 312, कुल किता 13 कुल रकबा 4.75 है0, तथा खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, तथा खाता संख्या 40 के खसरा नंबर 154, 155, 158, 159, 160, 161, 246, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 362, 363, 364, 365, 366, 521, 522, 523, 524, 525, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 608, 609, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 630, 631, 632, 633, 636/786, 644, 645, कुल किता 77 कुल रकबा 17.40 है0 वाके ग्राम रायपुरियाखुर्द, पटवार हल्का बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में वादी का नाम लच्छु पुत्र पाच्या के स्थान पर लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छु पुत्र पांचु दुरूस्त किया जाता है। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें निर्णण अनुसार डिक्रि जारी हों निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)